न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार

आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 95/2025 प्रा.पत्र सुपुर्दगीनामा

तपेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री सतीश कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी जोशी कॉलोनी, दौसा जिला दौसा

...प्रार्थी

बनाम

1.स्टेट जरिये जरिए ए0पी0पी0 सीजेएम कोर्ट दौसा

2.जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी 503 बी0एन0एस0एस0

बएफ.आई.आर. नंबर 550/2025 पुलिस थाना कोतवाली कोतवाली दौसा

अंतर्गत धारा 3/7 ई0सी0एक्ट .

उपस्थित:1. श्री मुकुट बिहारी शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 28.01.2026

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली दौसा दौसा ने घरेलू गैस सिलेण्डर से वाहन सं0 आरजे 14 यूसी 2520 मारूती सुजुकी में गैस भरते पाये जाने पर धारा 3/7 ई0सी0एक्ट में जब्त किया गया। पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा द्वारा उक्त मारूती सुजुकी वाहन संख्या आरजे 14 यूसी 2520 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मय केस डायरी तलब की गई। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति राजकीय अधिवक्ता को दी गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि पुलिस थाना कोतवाली ने वाहन मारूती सुजुकी नंबर आरजे 14 यूसी 2520 मारूती वैन को उक्त प्रकरण में जब्त किया है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वमी है व सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का अधिकारी है तथा तथकथित आरोप से उक्त वाहन का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है तथा अनुसंधान में भी पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नही है। तथा वाहन थाने में पडा खराब हो रहा है इसलिए न्याय हित में जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा पेश करने को तैयार व तत्पर है। तथा न्यायालय श्रीमान जो भी निर्देश देगी उसकी पालना करने को भी तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा द्वारा जब्तशुदा वाहन आरजे 14 यूसी 2520 मारूती वैन को सुपुदर्गी पर देने के आदेश प्रदान करावें।

3. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि दिनांक 8.11.2025 को प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय दौसा, जिला रसद अधिकारी दौसा को संपर्क पोर्टल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध रिफलिंग की शिकायत प्राप्त होने पर मा[illegible]णी, रामकरण जोशी अस्पताल के पास पहुँच कर जांच की गई। वक्त जा[illegible] सुजुकी वैन सं0 आरजे 14 यूसी 2520 में गैस भरना पा[illegible] पुत्र श्री गुल्[illegible] सैनी उपस्थित मिले जिनके द्वारा गैस भरने का कार्य किया जा रहा था। भारत गैस में सि[illegible]को उल्टा रख कर पाईप व पिन के माध्यम से गाडी में गैस भरी जा[illegible]ही थी। चूंकि घरेलू गै[illegible]उपयोग केवल खाना बनाने हेतु ही उपयोग में लाया जा सकता है। बिना समुचित प्राधिकार/अनुज्ञा पत्र के एल0पी0जी0 का अंतरण द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (पदार्थ और वितरण आदेश) 2000 के अनुच्छेद 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.02.20 10:44:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

(1) (ए) 6, (7)(9)(ए) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। उक्त आदेश की अवहेलना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में पुलिस को अनुसंधान हेतु उक्त वाहन की आवश्यकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज फरमाया जावे।

4. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के प्रावधान निम्न प्रकार है:—

5- 2 [6A. Confiscation of essential commodity.— 3[(1)] Where any 4[essential commodity is seized] in pursuance of an order made under section 3 in relation thereto, 5[a report of such seizure shall, without unreasonable delay, be made to] the Collector of the district or the Presidency town in which such 1[essential commodity is seized] and whether or not a prosecution is instituted for the contravention of such order, the Collector 2[may, if he thinks it expedient so to do, direct the essential commodity so seized to be produced for inspection before him, and if he is satisfied] that there has been a contravention of the order 3[may order confiscation of—

(a) the essential commodity so seized;

(b) any package, covering or receptacle in which such essential commodity is found; and

(c) any animal, vehicle, vessel or other conveyance used in carrying such essential commodity:]

Provided that without prejudice to any action which may be taken under any other provision of this Act, no foodgrains or edible oilseeds in pursuance of an order made under section 3 in relation thereto from a producer shall, if the seized foodgrains or edible oilseeds have been produced by him, be confiscated under this section:

4 [Provided further that in the case of any animal, vehicle, vessel or other conveyance used for the carriage of goods or passengers for hire, the owner of such animal, vehicle, vessel or other conveyance shall be given an option to pay, in lieu of its confiscation, a fine not exceeding the market price at the date of seizure of the essential commodity sought to be carried by such animal, vehicle, vessel or other conveyance.]

4[(2) Where the Collector, on receiving a report of seizure or on inspection of any essential commodity under sub-section

(1), is of the opinion that the essential commodity is subject to speedy and natural decay or it is otherwise expedient in the public interest so to do, he may— (i) order the same to be sold at the controlled price, if any, fixed for such essential commodity under this Act or under any other law for the time being in force; or

(ii) where no such price is fixed, order the same to be sold by public auction: Provided that in case of foodgrains, the Central Government may, for its equitable distribution and availability at fair prices, order the same to be sold through fair price shops at the price fixed by the Central Government or by the State Government, as the case may be, for the retail sale of such foodgrains to the public.

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.02.20 10:44:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

(3) where any essential commodity is sold, as aforesaid, the sale proceeds thereof, after deduction of the expenses of any such sale or auction or other incidental expenses relating thereto, shall—

(a) where no order or confiscation is ultimately passed by the Collector,

(b) where an order passed on appeal under sub-section (1) of section 6C so requires, or

(c) where in a prosecution instituted for the contravention of the order in respect of which an order of confiscation has been made under this section, the person concerned is acquitted, be paid to the owner thereof or the person from whom it is seized.]

6. हमने पत्रावली व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध रिफलिंग की शिकायत पर मालियों की ढाणी, रामकरण जोशी चिकित्सालय के पास पहुँच कर जांच की गई जिस पर जांच के दौरान घरेलू गैस सिलेण्डर से से मारूती सुजुकी ओमनी वैन नंबर आरजे 14 यूसी 2520 में गैस भरना पाया गया। मौके पर श्री राजेश सैनी के द्वारा गैस रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था। चूंकि घरेलू गैस थी। चूंकि घरेलू गैस का उपयोग केवल खाना बनाने हेतु ही उपयोग में लाया जा सकता है। बिना समुचित प्राधिकार/अनुज्ञा पत्र के एल0पी0जी0 का अंतरण द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (पदार्थ और वितरण आदेश) 2000 के अनुच्छेद 4 (1) (ए) 6, (7)(9)(ए) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। उक्त आदेश की अवहेलना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी ने प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बाबत पुलिस को वाहन की कोई आवश्यकता नहीं होना बताते हुए वाहन थाना परिसर कोतवाली में खुले में खडा होने से उसके खराब होने का अंदेशा जाहिर करते हुए सुपुदर्गी में दिये जाने का निवेदन किया है। ऐसे में सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जब्तशुदा वाहन मारूती सुजुकी ओमनी वैन नंबर आरजे 14 यूसी 2520 को अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं हो तो प्रार्थी की सुपुर्दगी में 50,000/-रू0 के जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर देने के आदेश निम्न शर्तो की पालना के अध्यधीन दिया जाता है:-

1. वाहन को रहन/बेचान नहीं करेगा।
2. बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व वाहन का बीमा रिन्युअल/नवीनीकरण करवायेगा।
3. वाहन का रंग रोगन परिवर्तित नहीं करेगा।
4. जब भी न्यायालय वाहन को तलब करेगा, अपने खर्चे पर साक्ष्य हेतु पेश करेगा। (इस हेतु वह अपना स्थाई पता, दूरभाष नंबर, ई मेल एड्रैस, व व्हाट्स अप नंबर शपथ पत्र पर प्रस्तुत करे)

7. साथ ही प्रार्थी उक्त वाहन के जुर्माने के रूप में वाहन की कीमत राशि 25000/-का 70 प्रतिशत अर्थात 17,500/- अक्षरे सत्रह हजार पांच सौ रूपये मात्र राजकोष में जमा करवाकर रसीद, मोचन आदेश (रिलीज ऑर्डर) एवं वाहन के स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली को प्रस्तुत कर दे तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी मे दे दिया जावे। निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली दौसा व जिला परिवहन अधिकारी दौसा को प्रेषित की जावे। पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बा[illegible] पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

निर्णय आज दिनांक 28.[illegible].2026 को खुले [illegible] सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.02.20 10:44:38 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official